

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक: 22 जून, 2017

संख्या 22/एस.टी.-2 – हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 19), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य कर आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं ।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को लागू होगी ।

संजीव कौशल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 22nd June, 2017

No: 22/ST-2 - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) the Governor of Haryana hereby appoints the Excise and Taxation Commissioner, Haryana to be the Commissioner of State tax for carrying out the purposes of the said Act.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

SANJEEV KAUSHAL
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department